रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241447 CG-DL-E-27122022-241447

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 804] No. 804] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2022/पौष 5, 1944 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2022/PAUSHA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 22 दिसम्बर, 2022

सा.का.िन. 901(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 693(अ), तारीख 12 सितंबर, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) दिनांकित 13 सितंबर, 2022 में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको प्रारूप नियमों में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अविध के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 13 सितंबर, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में तारीख 1 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहां गया है) के नियम 52 में,-

8635 GI/2022 (1)

- (क) उपनियम (1) में "मोटर यान के स्वामी" शब्दों के पश्चात् "या रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (ख) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण- इस उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत यान का प्राधिकृत व्यौहारी वह व्यौहारी होगा जिसे रजिस्ट्रीकृत यान के विक्रय या क्रय करने में विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।"।

- 3. उक्त नियम के नियम 53 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "(1) यदि किसी समय रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र खो गया है या नष्ट हो गया है तो मोटर यान का स्वामी या रजिस्ट्रीकृत यान का प्राधिकृत व्यौहारी उस राज्य की जिसमें वर्तमान में यान रजिस्ट्रीकृत है, के किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को लिखित में इसकी सूचना देगा।"।
- 4. उक्त नियम के नियम 55 में उपनियम (1) में "अन्तरक" शब्दों के स्थान पर "मोटर यान का स्वामी या रजिस्ट्रीकृत यान का प्राधिकृत व्यौहारी" शब्द रखे जाएंगे।
- 5. उक्त नियम के नियम 55 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
 - **"55क. रजिस्ट्रीकृत यान का प्राधिकृत व्यौहारी**.— (1) कोई व्यक्ति, उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उसके कारोबार का स्थान है, द्वारा प्ररूप 29ख में जारी किए गए विधिमान्य प्राधिकार प्रमाणपत्र के बिना, रजिस्ट्रीकृत यान के व्यौहारी के रूप में कार्य नहीं करेगा।
 - (2) रजिस्ट्रीकृत यान के विक्रय के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र को प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए कोई आवेदन, नियम 81 में यथा विनिर्दिष्ट समुचित फीस के साथ उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को जिसके अधिकार क्षेत्र में वह कारोबार करता है, प्ररूप 29क में पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से किया जाएगा।
 - (3) उपनियम (2) के अधीन आवदेन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी यदि वह संतुष्ट है, तो आवेदक को, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्ररूप 29ख में पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से डाउनलोड होने योग्य और प्रिंट होने योग्य प्ररूप पर प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी करेगा और यदि इसका तीस दिनों की उक्त अविध के भीतर निपटान नहीं किया गया है तो पोर्टल के माध्यम से यथास्थिति, आवेदन अनुमोदित समझा जाएगा और प्राधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किया गया या नवीकरण किया गया समझा जाएगा।
 - (4) प्राधिकृत प्रमाणपत्र को प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए कोई आवेदन तब तक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को लिखित में ऐसी नामंजूरी पर सुनवाई और कारण बताने का अवसर न दिया गया हो।
 - (5) प्रदान किया गया या नवीकरण किया गया कोई प्राधिकार प्रमाणपत्र उसके प्रदान किए जाने या नवीकरण किए जाने के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक विधिमान्य होगा ।
 - (6) इस प्रकार प्रदान किया गया प्राधिकार प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी के कारोबार के स्थान पर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।
 - (7) रजिस्ट्रीकृत यान का प्राधिकृत व्यौहारी किसी सार्वजनिक सड़क पर विक्रय के लिए यानों को खडा करने के लिए या अपनी सुची में भंडारित करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा ।
- 55ख. रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी को यान की आपूर्ति के तथ्य के बारे में सूचना.—(1) मोटर यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, जिसके पास वर्तमान में यान रजिस्ट्रीकृत है रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी को, पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से दाखिल किए गए उसके और रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप 29ग के माध्यम से, यान की आपूर्ति के तथ्य की सूचना देगा और पोर्टल पर प्ररूप 29ग के सफलतापूर्वक दाखिल करने पर पावती संख्या पोर्टल के माध्यम से स्वत: जारी हो जाएगी।
- (2) मोटर यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को जिसे उपनियम (1) के अधीन सूचना दी गई है, रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी को पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से दाखिल किए गए उसके और रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप 29घ के माध्यम से यान के वापस करने के तथ्य की सूचना देगा और पोर्टल पर प्ररूप 29घ के सफलतापूर्वक दाखिल करने पर पावती संख्या पोर्टल के माध्यम से स्वत: जारी हो जाएगी।

- **55ग. रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी की शक्ति और उत्तरदायित्व.**—(1) प्ररूप 29ग के दाखिल करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत यान प्राधिकृत व्यौहारी मोटर यान का स्वामी समझा जाएगा और यान के सभी सुसंगत दस्तावेजों की विधिमान्यता के लिए और ऐसे यान से संबंधित सभी घटनाओं के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।
- (2) रजिस्ट्रीकृत यान का प्राधिकृत व्यौहारी प्ररूप 29ग के माध्यम से अपने कब्जे के यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण या फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति, अनापत्ति प्रमाणपत्र, बीमा या मोटर यान के स्वामित्व के अन्तरण के लिए आवेदन करने हेतु सक्षम होगा।
- (3) रजिस्ट्रीकृत यान का प्राधिकृत व्यौहारी इलैक्ट्रानिक रूप से पोर्टल पर प्ररूप 29ङ में सूची का रिकार्ड रखेगा ।
- 55घ. वे उद्देश्य जिनके लिए रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी के कब्जे में के मोटर यान का प्रयोग किया जाना है.— रजिस्ट्रीकृत यान का प्राधिकृत व्यौहारी निम्नलिखित के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए सार्वजनिक स्थान में नियम 55ख के अधीन उसके कब्जे में के किसी वाहन का उपयोग नहीं करेगा, अर्थात :-
- (क) समुचित परीक्षण के लिए या उसके द्वारा प्रदर्शन या उसके द्वारा प्रदर्शनीय या संभावित क्रेता के लाभ के लिए ; या
- (ख) रंग करने या मरम्मत करने के उद्देश्य के साथ सेवा केन्द्र में जाने या वापस लाने के लिए; या
- (ग) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण या फिटनेस प्रमाणपत्र या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए यान निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र या प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र तक जाना और वहां से वापस लाना ;

परन्तु सार्वजनिक स्थान में ऐसे यानों के उपयोग के दौरान प्राधिकार प्रमाणपत्र संख्या यान के सहजदृश्य भाग पर सुपाठ्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी जिसे कम से कम पंद्रह मीटर की दूरी से आसानी से पढ़ा जा सके ;

- 55ङ. यान फेरा रजिस्टर का रख-रखाव.—(1) रजिस्ट्रीकृत यानों का प्राधिकृत व्यौहारी पोर्टल पर प्ररूप 29च में इलैक्ट्रानिक रजिस्टर को बनाए रखेगा।
- (2) प्ररूप 29च में निर्दिष्ट विशिष्टियां स्तंभ (7) के अधीन वापसी के समय के सिवाय, प्राधिकार प्रमाणपत्र के धारक या उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक फेरे के प्रारंभ से पूर्व प्रविष्टी की जाएंगी और ऐसे यान के लिए प्ररूप 29च का प्रिंट आउट यान के चालक द्वारा फेरे के दौरान वहन किया जाएगा और अधिनियम द्वारा या उसके अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के लिए मांग करने के लिए सशक्त किसी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) प्राधिकार प्रमाणपत्र का धारक फेरे की समाप्ति पर प्ररूप 29च के स्तंभ (7) को इलैक्ट्रानिक रूप से भरेगा जो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुला होगा।
- 55च. प्राधिकार प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्द करना.—यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि प्राधिकार प्रमाणपत्र के धारक ने नियम 55ग से नियम 55ङ के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है तो वह उक्त उपबंधों के अननुपालन के तथ्य की रिपोर्ट युक्तियुक्त सबूत के साथ धारा 213 के अधीन स्थापित मोटर यान विभाग के प्रधान को करेगा। विभाग का उक्त प्रधान प्राधिकार प्रमाणपत्र के धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसके द्वारा धारित प्राधिकार प्रमाणपत्र को आदेश द्वारा निलंबित और रद्द कर सकेगा।
- **55छ. अपील**.— नियम 55 के या 55च के अधीन आदेश द्वारा व्यथित ऐसा कोई व्यक्ति ऐसे किसी आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा प्राधिकृत संबंधित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।
- 55ज. अपील के लिए प्रक्रिया.— (1) नियम 55छ में निर्दिष्ट अपील ज्ञापन के प्ररूप में दो प्रतियों में संबंधित प्राधिकारी के आदेश के लिए आक्षेपों के आधारों को उपवर्णित करते हुए की जाएगी और इसके साथ नियम 81 में यथा विनिर्दिष्ट समुचित फीस और आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न होगी।
- (2) अपील प्राधिकारी चुने जाने वाले पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसी जांच यदि कोई हो जैसा वह आवश्यक समझे के पश्चात्, ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर समुचित आदेश पारित करेगा।"।
- 6. उक्त नियम के नियम 58 में उपनियम (1) में "किसी मोटर यान की बाबत धारा 48 के अधीन निराक्षेप प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए आवेदन" शब्दों के पश्चात् "मोटर यान के स्वामी या रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी द्वारा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त नियम के नियम 81 की सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1क	प्राधिकार प्रमाणपत्र को प्रदान किया जाना या नवीकरण	पच्चीस हजार रुपए	55क (2)	",,

(ख) क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3क.	नियम 55छ के अधीन अपील	एक हजार रुपए	55ज	",

(ग) क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"4.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना या नया रजिस्ट्रीकरण		47(1)	
	चिन्ह् प्रदान करना:-		54(1)	
	(क) अशक्त यात्री गाड़ी	पचास रु.	76(1)	
	(ख) मोटर साइकिल	तीन सौ रु.	78(1)	
	(ग) तिपहिया/क्वाड्रीसाइकिल	छह सौ रु.		
	(घ) हल्के मोटर यान	छह सौ रु.		
	(ड.) मध्यम माल/यात्री यान	एक हजार रु.		
	(च) भारी माल/यात्री यान	एक हजार पांच सौ रु.		
	(छ) आयातित मोटर यान (दो या तीन पहियों वाले)	दो हजार पांच सौ रु.		
	(ज) आयातित मोटर यान (चार या अधिक पहियों वाले)	पांच हजार रु.		
	(झ) कोई अन्य यान, जिसका ऊपर उल्लेख नहीं है	तीन हजार रु.		
	टिप्पण 1 : यदि प्ररूप 23क में जारी किया गया/नवीकृत			",
	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र बिना चिप वाला लैमिनेटेड कार्ड या स्मार्ट कार्ड किस्म में है, तो दो सौ रुपये की अतिरिक्त			
	कीस वसूली जाएगी।			

(घ) क्रम संख्यांक 4क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"4ख.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण :-		52(1)	
	(क) अशक्त यात्री गाड़ी	पचास रु.		
	(ख) मोटर साइकिल	एक हजार रु.		
	(ग) तिपहिया/क्वाड्रीसाइकिल	दो हजार पांच सौ रु.		
	(घ) हल्के मोटर यान	पांच हजार रु.		
	(इ.) आयातित मोटर यान (दो या तीन पहियों वाले)	दस हजार रु.		
	(च) आयातित मोटर यान (चार या अधिक पहियों वाले)	चालीस हजार रु.		
	(छ) कोई अन्य यान, जिसका ऊपर उल्लेख नहीं है	छह हजार रु.		

टिप्पण 1 : यदि प्ररूप 23क में जारी किया गया/नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र बिना चिप वाला लैमिनेटेड कार्ड या स्मार्ट कार्ड किस्म में है, तो दो सौ रुपये की अतिरिक्त फीस वसूली जाएगी।		
टिप्पण 2: रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के आवेदन में विलंब की दशा में मोटरसाइकिलों की बाबत प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए तीन सौ रुपए की अतिरिक्त फीस और अन्य गैर परिवहन यानों के अन्य वर्गों की दशा में प्रत्येक मास या उसके भाग के विलंब के लिए पांच सौ रुपए की फीस वसुली जाएगी।		
अपूरम आर्था ।		".

- 8. उक्त नियम के प्ररूप 26 में,--
- (क) "मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमनेतारीख को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के खो जाने पर ध्यान देने के तुरंत बाद इसके बारे में शिकायत फाइल की है (प्रतिलिपि संलग्न)" शब्दों से प्रारंभ होने वाले पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-- "मैं घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो गया है/ नष्ट हो गया है और इसे किसी भी एजेंसी द्वारा जब्त नहीं किया गया है और न ही इसे किसी प्राधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द किया गया है।";
- (ख) "आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान" प्रविष्टि के स्थान पर, "मोटर यान के स्वामी या रजिस्ट्रीकृत यानों के प्राधिकृत व्यवहारी के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई हस्ताक्षर" प्रविष्टि रखी जाएगी।
- 9. उक्त नियम के प्ररूप 28 में.--
- (क) आवेदन से संबंधित भाग 1 में, "रजिस्ट्रीकृत स्वामी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान" प्रविष्टि के स्थान पर, "मोटर यान के स्वामी या रजिस्ट्रीकृत यानों के प्राधिकृत व्यवहारी के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई हस्ताक्षर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ख) कार्यालय पृष्ठांकन से संबंधित भाग 3 में, "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" प्रविष्टि के स्थान पर, "मोटर यान के स्वामी/रजिस्ट्रीकृत यानों के प्राधिकृत व्यवहारी" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- 10. उक्त नियम के प्ररूप 29 में, "रजिस्ट्रीकृत स्वामी (हस्तांतरणकर्ता) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान" प्रविष्टि के स्थान पर, "मोटर यान के स्वामी या रजिस्ट्रीकृत यानों के प्राधिकृत व्यवहारी के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई हस्ताक्षर" प्रविष्टि रखी जाएगी।
- 11. उक्त नियम के प्ररूप 29 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप 29क

[नियम 55क(2) देखिए]

प्राधिकृति प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,		
रजिस्ट्रीक	न्रण प्राधिकारी	
मैं/हम आवेदन व	 करता हूं/करते हैं :	प्राधिकृति प्रमाणपत्र प्रदान करने/नवीकरण के लिए
1.	आवेदक का नाम	
2.	सुपुत्र/धर्मपत्नी/सुपुत्री	

0	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(1)]									
3.	आवेदक का पूरा पता									
4.	व्यवसाय का स्थान –									
	(क्षेत्र सहित ले-आऊट योजना संलग्न की जानी है)									
5.	आवेदक का मोबाइल नंबर									
6.	आवेदक का ई-मेल पता									
7.	निगमन या दुकान अधिनियम रजिस्ट्रीकरण या उद्यम									
	आधार का प्रमाणपत्र									
8.	विधिमान्य माल और सेवाकर रजिस्ट्रीकरण									
9.	विधिमान्य पैन (स्थायी खाता संख्या)									
10.	संदत्त फीस की राशि									
11.	यदि आवेदन नवीकरण के लिए है, तो आवेदन किए									
	गए नवीकरण की बाबत प्राधिकृति संख्या, जारी करने									
	की तारीख और समाप्त होने की तारीख उपदर्शित करें									
	घोषणा									
मैं घोषण	ा करता/करती हूं/हम घोषणा करते हैं कि प्रमाणिक व्या	पार प्रयोजनार्थ मेरे/हमारे लिए प्राधिकृति प्रमाणपत्र की								
	ता है और मेरे/हमारे यानों के संबंध में किसी भी घटना									
और मैं/ह	म पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में यानों की तालिका को बन	नाए रखूंगा/रखूंगी/रखेंगे ।								

स्थान														
7911		• •												

आवेदक के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई हस्ताक्षर

तारीख:.....

प्ररूप 29ख

[नियम 55क (1) देखिए]

प्राधिकृति प्रमाणपत्र

- 1. प्राधिकरण प्रमाणपत्र धारक का पूरा नाम
- 2. प्राधिकरण प्रमाणपत्र धारक का पता
- 3. प्राधिकरण प्रमाणपत्र धारक के कारोबार का स्थान
- 4. समनुदेशित प्राधिकरण प्रमाणपत्र संख्या
- 5. प्राधिकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख
- 6. प्राधिकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख
- 7. संदत्त फीस की रकम

तारीख	
स्थान	

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

प्ररुप 29ग

[नियम 55ख (1) देखें]

[1144 004 (1) 44]
रजिस्ट्रीकृत यानों के प्राधिकृत ब्यौहारी को यान के परिदान के तथ्य के बारे में, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को सूचना
पावती संख्या(पोर्टल के माध्यम से स्वतः सृजित)
सेवा में
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारीपिसकी अधिकारिता में यान वर्तमान में रजिस्ट्रीकृत हैं)
मैंके निवासी हूं/है आज विराख, मास और वर्ष) को अपने यान संमेकमेकचेसिस
संशी/श्रीमिति/कु(राजिस्ट्रीकृत यानों के प्राधिकृत ब्यौहारी) के
कारोबार के स्थानको प्राधिकरण प्रमाणपत्र संख्या
कोद्वारा जारी किया गयातक विधिमान्य परिदत्त कर दिया गया है ।
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, पीयूसीसी और बीमा प्रमाणपत्र उसको /उनको दे दिए गए हैं ।
•
घोषणा मैं घोषणा करता हूं कि मेरे यान पर कर की कोई मांग लंबित नहीं है, न ही यान पर कोई चालान लंबित है । यान
किसी परिमट द्वारा कवर नहीं है/ परिमट प्रदान करने वाले प्राधिकारी को यान का परिमट अभ्यर्पित किया गया है। यान किसी आपराधिक मामले या प्रतिषिद्ध माल के परिवहन से संबंधित मामले में सम्मिलित नहीं है न ही यान पर दुर्घटना का कोई मामला लंबित है। यान भाड़ाक्रय/पट्टा/आडमान के करार के अधीन धारित नहीं है। मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, यान सुपरदारी पर नहीं है और सभी विल्लंगमों से मुक्त है और दी गई जानकारी सत्य है। मैं जानकारी की किसी अयर्थाथता या छिपाने के लिए स्वयं उत्तरदायी होने को वचनबद्ध हूं और मैं रिजस्ट्रीकृत यानों के उपरोक्त लिखित प्राधिकृत ब्यौहारी को अपनी ओर से मोटर यान का रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण/ योग्यता प्रमाणपत्र के नवीनीकरण, रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति, अनापित्त प्रमाणपत्र, स्वामित्व के अंतरण के लिए आवेदन करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।
मोटर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी के
हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर
उपरोक्त उल्लिखित यान, उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, पीयूसीसी और बीमा प्रमाणपत्र को मेरे द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है और मैं अब से इस यान से सुसंगत दस्तावेजों की विधिमान्यता और इस यान से संबंधित किसी घटना के लिए एकमात्र उत्तरदायी रहूंगा।
तारीख
रजिस्ट्रीकृत यानों के प्राधिकृत ब्यौहारी के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर
प्ररुप 29घ
[नियम 55ख (2) देखें]
रजिस्ट्रीकृत यानों के प्राधिकृत ब्यौहारी से यान के वापस लेने के बारे में, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को सूचना
पावती संख्या(पोर्टल के माध्यम से स्वतः सृजित)
सेवा में
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी(जिसको प्ररुप 29ग में सूचना दी जाती हैं)

में	ने, जो	क	निवासी हूं/	ं है आज
	(तारीख, मास और वर्ष)	को अपना यान सं	.मेक	चेसिस
सं	बैटरी चालित यान के मामले	में इंजन संख्या या मोटर संख्या		से
श्री/श्रीमति	(रजिस्ट्रीकृ	त यानों के प्राधिकृत ब्यौहारी) वे	_ह कारोबार करने	[.] के स्थान पर
	प्ररुप 29ग में सूचना की तारी	खप्ररुप 29ग	माध्यम से सौंपे	गए यान की
पावती संख्या	दारा ज	ारी किया गया	तक विर्ा	धेमान्य वापस
ले लिया है।				
मेरे द्वारा रजि	जेस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, पीयूसीसी औग	र बीमा प्रमाणपत्र वापस ले लिया र	गया है ।	
		घोषणा		
जारोक क	नकारी गर्म है और मैं जानकारी की	क्रिमी अगर्भाशना मा निमाने के	निया स्टाउं उन्हर	टागी टोटे को

उपरोक्त जानकारी सत्य है और मैं जानकारी की किसी अयर्थाथता या छिपाने के लिए स्वयं उत्तरदायी होने को वचनबद्ध हूं ।

> मोटर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर

उपरोक्त उल्लिखित यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, पीयूसीसी और बीमा प्रमाणपत्र को मेरे द्वारा मोटर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को दे दिए गए हैं।

तारीख.....

रजिस्ट्रीकृत यानों के प्राधिकृत ब्यौहारी के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर

प्ररुप 29 ड.

[नियम 55ग(3) देखें]

वाहन पोर्टल पर अनुरक्षित की गई सूची का डिजिटल रजिस्टर

- 1. प्राधिकरण प्रमाणपत्र संख्या
- 2. रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत ब्यौहारी का नाम
- 3. कारोबार के स्थान का पता
- 4. जिला
- 5. राज्य

क्रम सं.	यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या	यान का वर्ग	चेसिस संख्या	इंजन सख्या	प्ररुप 29ग में सूचना की तारीख	रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जिसको प्ररुप 29ग में सूचना दी गई है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
यान के विक्रय की तारीख	स्वामित्व के अंतरण की तारीख	आर टी ओ जहां अंतरण प्रभावित हुआ।	तारीख जिसको यान मूल स्वामी को वापस लौटाया जाता है	प्ररुप 29ग के प्रस्तुत करने पर सृजित पावती संख्या	प्ररुप 29घ के प्रस्तुत करने पर सृजित पावती संख्या	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

प्ररुप 29च

[नियम 55ड. देखें]

इलैक्ट्रानिक यान यात्रा रजिस्टर

- 1. प्राधिकरण प्रमाणपत्र संख्या
- 2. रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत ब्यौहारी का नाम
- 3. कारोबार के स्थान का पता
- 4 जिला
- राज्य

तारीख	यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या	प्रयोजन जिसके लिए यान भेजा गया है।	चालक का नाम	चालक की अनुज्ञप्ति संख्या	यान द्वारा परिसर छोड़ने का समय और तारीख	यान के परिसर में वापस लौटने का समय और तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)"।

12. उक्त नियमों के प्ररुप 30 में,-

- (क) अंतरक के प्रयोग के लिए से संबंधित भाग-1 में "अंतरक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान" प्रविष्टि के स्थान पर "मोटर यान के स्वामी या रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत ब्यौहारी के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ख) कार्यालय पृष्ठांकन से संबंधित भाग-3 में "अंतरक" प्रविष्टि के स्थान पर "मोटर यान का स्वामी/रजिस्ट्रीकृत यानों के प्राधिकृत ब्यौहारी" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं.आर टी-11036/16/2022-एमवीएल (भाग-1]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) की अधिसूचना सख्यांक सा.का.िन. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 888(अ) तारीख 19 दिसंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2022

G.S.R. 901(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act,1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 693 (E), dated the 12th September, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 13th September, 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 13th September, 2022;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 39 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Twenty-Sixth Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force with effect from the 1stday of April, 2023.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 52,-
- (a) in sub-rule (1), after the words "owner of a motor vehicle", the words "or authorised dealer of registered vehicle" shall be inserted:
- (b) after sub-rule (1), the following explanation shall be inserted, namely:- "Explanation.- For the purpose of this sub-rule, an authorised dealer of registered vehicle shall be a dealer who is authorised to engage in sale or purchase of registered vehicles.".
- 3. In rule 53 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -
- "(1) If at any time the certificate of registration is lost or destroyed, the owner of a motor vehicle or authorised dealer of registered vehicle shall intimate the fact in writing to any registering authority in the State in which the vehicle is currently registered.".
- 4. In rule 55 of the said rules, in sub rule (1), for the words "the transferor", the words "the owner of a motor vehicle or authorised dealer of registered vehicle" shall be substituted.
- 5. After rule 55 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely –
- "55A. Authorisation of dealers of registered vehicles. (1) No person shall act as dealer of a registered vehicle without a valid authorisation certificate issued in Form 29B by the registering authority in whose jurisdiction, he has place of business.
- (2) An application for grant or renewal of authorisation certificate for sale of registered vehicle shall be made electronically on portal in Form 29A, accompanied by appropriate fee as specified in rule 81, to the registering authority, in whose jurisdiction he has place of business.
- (3) On receipt of an application under sub-rule (2), the registering authority may, if satisfied, issue to the applicant the authorisation certificate, electronically on portal, in downloadable and printable form, in Form 29B, within thirty days from the date of receipt of such an application and if it is not disposed of within the said period of thirty days, the application shall be deemed to be approved and authorisation certificate shall be deemed to be granted or renewed, as the case may be, through the portal.
- (4) No application for grant or renewal of authorisation certificate shall be refused by the registering authority unless the applicant is given an opportunity of being heard and reasons of such refusal are given in writing.
- (5) An authorisation certificate granted or renewed shall be valid for a period of five years from the date of initial grant or renewal.
- (6) The authorisation certificate so granted shall be exhibited at conspicuous place, at the business place of authorised dealer of registered vehicles.
- (7) The authorised dealer of registered vehicles is not permitted to park or store his inventory of vehicles for sale on any public road.
- **55B.** Intimation about the fact of delivery of vehicle to authorised dealer of registered vehicles. (1) Registered owner of a motor vehicle shall intimate the registering authority, with whom the vehicle is currently registered, the fact of delivery of vehicle to authorised dealer of registered vehicles, through Form 29C, submitted electronically on portal, dually signed by him and authorised dealer of registered vehicles and on successful submission of Form 29C on the portal, acknowledgement number shall be auto generated through the portal.
- (2) Registered owner of a motor vehicle shall intimate the registering authority, to whom the intimation under sub-rule (1) has been given, the fact of taking back vehicle from authorised dealer of registered vehicles, through Form 29D, submitted electronically on portal, dually signed by him and authorised dealer of registered vehicles and on successful submission of Form 29D on the portal, acknowledgement number shall be auto generated through the portal.
- **55C.** Power and responsibility of authorised dealer of registered vehicles. (1) After submission of Form 29C, the authorised dealer of registered vehicles shall be deemed owner of the motor vehicle and shall be solely responsible for validity of all relevant documents of the vehicle and all incidents related to such vehicle.

- (2) The authorised dealer of registered vehicles shall be competent to apply for renewal of registration certificate or renewal of certificate of fitness, duplicate registration certificate, No Objection Certificate, insurance, transfer of ownership of motor vehicle, in relation to vehicles in his possession through Form 29C.
- (3) The authorised dealer of registered vehicles shall maintain the record of inventory electronically, in Form 29E on portal.
- **55D.** Purposes for which motor vehicle in possession of authorised dealer of registered vehicles to be used. An authorised dealer of registered vehicles shall not use any vehicle which is in his possession under rule 55B in a public place for any purpose other than the following, namely:-
- (a) for a reasonable trial or demonstration by or exhibition by or for the benefit of a prospective purchaser; or
- (b) for proceeding to or returning from a service center with the objective of painting or for repairs; or
- (c) for proceeding to or returning from vehicle inspection and certification center or Pollution Under Control center for the purpose of renewal of certificate of registration or certificate of fitness or Pollution Under Control Certificate, as the case may be;

Provided that during use of such vehicles in public place, authorisation certificate number shall be exhibited legibly on conspicuous part of vehicle, which can be easily readable from a distance of at least fifteen meters.

- **55E. Maintenance of vehicle trip register. -** (1) An authorised dealer of registered vehicles shall maintain an electronic register in Form 29F on the portal.
- (2) The particulars referred to in Form 29F, except the time of return under column (7), shall be entered before the commencement of each trip by the holder of the authorisation certificate or his representative and print out of Form 29F for such vehicle shall be carried during the trip by the driver of the vehicle and shall be produced on demand by any officer empowered to demand production of documents by or under the Act.
- (3) The holder of an authorisation certificate shall, at the end of a trip, fill in column (7) of the Form 29F electronically, which shall be open for inspection by the registering authority.
- **55F.** Suspension or cancellation of authorisation certificate. If the registering authority has reason to believe that the holder of any authorisation certificate has not complied with the provisions of rules 55C to 55E, it shall report the fact of non-compliance of the said provisions along with reasonable proof, to the head of the Motor Vehicles Department established under section 213. The said head of the department may, after giving the holder of authorisation certificate an opportunity of being heard, by an order suspend or cancel the authorisation certificate held by him.
- **55G. Appeal.** Any person aggrieved by the order under rule 55A or 55F may, within thirty days of the receipt of any such order, appeal to the concerned authority as authorised by the State Government or Union Territory Administration.
- **55H. Procedure for appeal.** (1) The appeal referred to in rule 55G shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum, setting forth the grounds of objections to the order of the concerned authority and shall be accompanied by appropriate fee as specified in rule 81 and a certified copy of the order appealed against.
- (2) The appellate authority, after giving an opportunity to the parties to be heard and after such enquiry, if any, as it deems necessary, pass appropriate orders within the period of thirty days from the date of receipt of such an appeal."
- 6. In rule 58 of the said rules, in sub-rule (1), after the words "in respect of a motor vehicle shall be made", the words "by the owner of a motor vehicle or authorised dealer of registered vehicles" shall be inserted.
- 7. In rule 81 of the said rules, in the TABLE, -
- (a) after serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
"1A.		Twenty rupees	Five	thousand	55 A (2)	";

(b) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3A.	Appeal under rule 55G		55 H	";

(c) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"4.	Issue of certificates of registration or		47(1)	
	assignment of new registration mark:-		54(1)	
			76(1)	
	(a)Invalid carriage	Fifty rupees	78(1)	
	(b)Motor cycle	Three hundred rupees		
	(c)Three wheeler / Quadricycle	Six hundred rupees	1	
	(d) Light motor vehicle	Six hundred rupees		
	(e)Medium Goods/ Passenger vehicle.	One thousand rupees		
	(f)Heavy Goods/ Passenger vehicle.	One thousand five hundred rupees		
	(g)Imported motor vehicle (Two or Three wheeled)	two thousand five hundred rupees		
	(h)Imported motor vehicle (Four or more	Five thousand rupees		
	wheeled):			
	(i)Any other vehicle not mentioned	three thousand rupees		
	above			
	Note 1: Additional fee of two hundred		1	";
	rupees shall be levied if the certificate of			
	registration is a laminated card without chip or smart card type/ issued			
	or renewed in Form 23A.			

(d)after serial number 4A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"4B.	Renewal of certificate of registration:-		52(1)	
	(a)Invalid carriage	Fifty rupees		
	(b)Motor cycle	One thousand rupees		
	(c)Three wheeler/Quadricycle	two thousand five hundred rupees		
	(d) Light motor vehicle	Five thousand rupees		
	(e)Imported motor vehicle (Two or Three wheeled)	Ten thousand rupees		
	(f)Imported motor vehicle (Four or more wheeled):	Forty thousand rupees		
	(g)Any other vehicle not mentioned above	Six thousand rupees		
	Note 1: Additional fee of two hundred rupees shall be levied if the certificate of registration is a laminated card without chip or smart card type/issued or renewed in Form 23A.			".

IN . A Y	I
Note 2: In case of delay in applying for renewal of	
certificate of registration, an additional fee of three	
hundred rupees for delay of every month or part	
thereof in respect of motor cycles and five hundred	
rupees for delay of every month or part thereof in	
respect of other classes of non-transport vehicles	
shall be levied.	

- 8. In Form 26 of the said rules, -
- (a) for paragraph beginning with the words "I/We hereby declare that I/We on.................................. (date) have filed a complaint (copy enclosed) with the police about the loss of Certificate of Registration immediately after the loss has been noticed.", the following paragraph shall besubstituted, namely:- "I declare that the certificate of registration is lost/ destroyed and it has not been impounded by any agency nor it has been suspended or cancelled by any authority.";
- (b) for the entry "Signature/ thumb impression of applicant", the entry "Signature /digital signature/ e-signature of owner of motor vehicle or authorised dealer of registered vehicles" shall be substituted.
- 9. In Form 28 of the said rules, -
- (a) in PART-I relating to APPLICATION, for the entry "Signature or thumb-impression of Registered owner", the entry "Signature / digital signature / e-signature of owner of motor vehicle or authorised dealer of registered vehicles" shall be substituted;
- (b) in PART-III relating to OFFICE ENDORSEMENT, for the entry "The Registered Owner......", the entry "The owner of motor vehicle / authorised dealer of registered vehicles......." shall be substituted.
- 10. In Form 29 of the said rules, for the entry "Signature or thumb-impression of the Registered Owner (Transferor)", the entry "Signature /digital signature/ e-signature of owner of motor vehicle or authorised dealer of registered vehicles" shall be substituted.
- 11. After Form 29 of the said rules, the following Forms shall be inserted, namely: -

"FORM 29A

[See rule 55 A (2)]

Form of Application for grant or renewal of authorisation certificate

То
The Registering authority
I/We hereby apply for grant of/renewal of an authorisation certificate: -

1.	Applicant's name	
2.	Son/wife/daughter of	
3.	Applicant's full address	
	Place of business- (lay out plan with area to be attached)	
5	Applicant's mobile number	
6	Applicant's e mail address	
	Certificate of Incorporation or Shop Act Registration or Udyam Aadhar	
8	Valid Goods and Services Tax registration	
9	Valid PAN (Permanent account number)	
10	Amount of fee paid	

11	If the application is for renewal indicate the authorisation number, date of issue and date of expiry in respect of which renewal is applied		
		Declaration	
solely		norisation certificate is require	d by me for bona fide trade purpose and I shall be session and I will maintain inventory of vehicles
Place			
		Sig	nature/digital signature /e-signature of the applicant
Date			
		FORM 29B	
		[See rule 55 A (1) 1
			· -
	_	Authorisation certifi	cate
1.	Full name of Authorisation		
2.	Address of Authorisation ce		
3.	Place of business of Authori		
4.	Authorisation certificate nur	<u> </u>	
5.	Date of issue of authorisation		
6.	Date of expiry of authorisati	ion certificate	
7.	Amount of fee paid		
	 2		Signature/digital signature of Registering authority
		FORM 29C	
		[See rule 55 B (1))]
Intin	nation to the registering auth	nority, about the fact of delive vehicles	ery of vehicle to authorised dealer of registered
	Acknowledgement nu	umber(1	to be auto generated through portal)
To			
The Registe	=		(In whose jurisdiction the vehicle is currently
year No Shri/Sı	delivere Engine number or mo	ed my Vehicle No otor number in the case of	on theday of the makeChassis Battery Operated Vehicles to registered vehicles) having place of business
Author	risation certificate number		
Issued	by	••••	
	in to		

The Registration Certificate, PUCC and Insurance Certificate have been handed over to him/her/them.

Declaration

I hereby declare that no demand of tax is pending on my vehicle, nor any challan is pending on vehicle. Vehicle is not covered by any permit / permit of the vehicle is surrendered to permit granting authority. Vehicle is not involved in any criminal case or case regarding transportation of prohibited goods, nor any case of accident is pending on vehicle. Vehicle is not held under an agreement of hire-purchase/ lease/hypothecation. To the best of my knowledge and belief, the vehicle is not superdari and is free from all encumbrances and information furnished is true. I undertake to hold myself responsible for any inaccuracy or suppression of information and I hereby authorise above mentioned authorised dealer of registered vehicles to apply on my behalf for renewal of registration certificate/ renewal of certificate of fitness, duplicate registration certificate, NOC, insurance, transfer of ownership of motor vehicle.

Signature/digital signature /e-signature of the Registered owner of motor vehicle

The above mentioned vehicle, its Registration Certificate, PUCC and Insurance Certificate have been taken in possession by me and I shall be solely responsible for validity of relevant documents of vehicle and any incident regarding this vehicle henceforth.

Date.....

Signature /digital signature /e-signature of authorised dealer of registered vehicles

of authorised dealer of registered vehicles

FORM 29D

[See rule 55 B(2)]

Intimation to the registering authority, about taking back of vehicle from authorised dealer of registered vehicles

Acknowledgement number(to be auto generated through portal)
То
The Registering Authority (to whom intimation is given in Form 29C)
I
Date of intimation in Form 29 C
acknowledgement number of handing over vehicle through Form 29 C
Authorisation certificate number
Issued by
Valid up to
The Registration Certificate, PUCC and Insurance Certificate have been taken back by me.
Declaration
The above information is true to and I undertake to hold myself responsible for any inaccuracy suppression of information.
Signature/digital signature /e-signatu
of the Registered owner of motor vehic
The above mentioned vehicle its Registration Certificate, PUCC, Insurance Certificate have been given to tregistered owner of motor vehicle by me.
Date
Signature /digital signature /e signatu

FORM 29E

[See Rule 55C (3)]

Digital Register of inventory to be maintained on VAHAN portal

- 1. Authorisation certificate number
- 2. Name of authorised dealer of registered vehicles
- 3. Address of place of business
- 4. District
- 5. State

Sr. No.	Vehicle registration number	Vehicle Class	Chassis number	Engine Number	Date of Intimation in Form 29C	Registering authority, to whom intimation in Form 29C given
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Date of sale of vehicle	Date of Transfer of ownership	RTO where transfer was affected	Date on which vehicle is returned back to original owner		Acknowledgement number generated on submission of Form 29D	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

FORM 29F

[See rule 55E]

Electronic Vehicle trip register

- 1. Authorisation certificate number
- 2. Name of authorised dealer of registered vehicles
- 3. Address of place of business
- 4. District
- 5. State

Dat				Driver's name	of driver	leaving the premises by the	Time and date of returning back to the premises of the vehicle
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)".

- 12. In Form 30 of the said rules,-
- (a) in PART-I relating to FOR THE USE OF THE TRANSFEROR, for the entry "Signature or thumb-impression of the Transferor", the entry "Signature/digital signature/e-signature of owner of motor vehicle or authorised dealer of registered vehicles" shall be substituted;
- (b) in PART-III relating to OFFICE ENDORSEMENT, for the entry "The transferor....", the entry "The owner of motor vehicle/authorised dealer of registered vehicles" shall be substituted.

[F. No. RT-11036/16/2022-MVL (Part.I)]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R.590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 888(E), dated the 19th December, 2022.